निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 60/2024
दायरा दिनांकः—22.10.2024
निर्णय दिनांकः— 4.6.25

उनवान

1. शिवराज सिंह आयु 72 वर्ष आत्मज पुष्पसिंह जाति राजपुत सा0 खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा हाल मुकाम खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गजराजसिंह आत्मज पुष्पसिंह जाति राजपुत सा0 खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
2. नन्द कुंवर पुत्री पुष्पसिंह जाति राजपुत सा0 खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. प्रकाश बाई पुत्री पुष्पसिंह जाति राजपुत सा0 खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
4. राजबाई पुत्री पुष्पसिंह जाति राजपुत सा0 खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 4.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चन्द्रमोहन सिंह राठौड – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6449 है0 अवस्थित है जिसका खाता संख्या 37 है उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 4 के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे सहवन से भूल वंश प्रार्थी का नाम शिवराजसिंह के स्थान पर श्योराजसिंह दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थी के आधार कार्ड राशन कार्ड, ई मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये कार्ड एंव ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम के अन्य खाता संख्या 35 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.6944 हैक्टीयर के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

शिवराजसिंह ही दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम शिवराजसिंह के बजाय श्योराजसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कृषि से संबंधित प्रारम्भ की जारी योजनाओ के लाभान्वित होने से वंचित होना पड़ रहा है। और प्रार्थी के.सी.सी. एंव बैंक लोन इत्यादि का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है प्रार्थी को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति नुकसान उठाना पड़ रहा है, अतः प्रार्थी जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थी का नाम श्योराजसिंह के स्थान पर शिवराजसिंह दर्ज करवाकर जमाबंदी मे इन्द्राज दुरूस्त कराने का वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम संख्या 5 तहसीलदार साहब छबड़ा के संबंधित रेवेन्यु अधिकारियो से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र की चरण कम संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थी का नाम श्योराजसिंह के स्थान पर शिवराजसिंह दर्ज कर खाते मे इन्द्राज दुरूस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नही की अन्त मे दिनांक 08/10/2024 को पुनः अनुरोध करने पर प्रार्थी को खाते मे इन्द्राज दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने की हिदायत दी अतः यही दिनांक 08/10/2024 बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 4 उक्त वर्णित भूमि के शामलाती खातेदार होने एंव राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एंव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वह आवश्यक पक्षकार होने के सबब से अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रोफार्मा अप्रार्थीगण बनाये गये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई पैराकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 37 नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 35 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र पेन कार्ड की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से शिवराजसिंह के स्थान पर श्योराजसिंह दर्ज हो गया। है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में एवं ग्राम खेरखेडानाथुराम के अन्य खाता संख्या 35 में प्रार्थी का सही नाम शिवराजसिंह ही दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शिवराजसिंह के स्थान पर श्योराजसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी खाता संख्या 37 में दर्ज श्योराजसिंह के स्थान पर शिवराजसिंह दर्ज करानें का वैधानिक अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखडानाथराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6449 है0 में श्योराजसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत दर्ज है उक्त प्रकरण में श्याराजसिंह पुत्र पुष्पसिंह राजपूत के सही नाम की जानकारी ग्राम वासियान से की गई। मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया की श्योरजसिंह पुत्र पुष्पसिंह राजपुत का सही नाम शिवराज सिंह पुत्र पुष्पसिंह राजपुत हे ग्राम वासियान ने बताया कि श्योराजसिंह व शिवराजसिंह उक्त दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है शिवराज सिंह व श्योराजसिंह दोनो नामों से ग्राम वासी जानतें है एवं पुकारतें है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 37 के अनुसार सहखातेदारों के साथ श्योराजसिंह पुत्र पुष्पसिंह हिस्सा 1/5 जाति राजपूत सा0 देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 35 में शिवराजसिंह पुत्र पुष्पसिंह राजपूत दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र पेन कार्ड, में शिवराजसिंह दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम शामलाती खाते की भूमि में श्योराजसिंह दर्ज है तथा अन्य खाते की भूमि एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम शिवराजसिंह दर्ज है प्रार्थी अपना नाम खाता संख्या 37 में श्योराजसिंह के स्थान पर शिवराज सिंह दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात व अन्य खाता संख्या 35 के अनुसार प्रार्थी का सही नाम शिवराज सिंह है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.6449 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्योराजसिंह के स्थान पर शिवराजसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)